

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(3)न्याय/2020

जयपुर, दिनांक: 29.8.2022


:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी की वर्ष 2022-23 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित संयुक्त विधि परामर्शी का चयन योग्यता के आधार पर होने के फलस्वरूप इन्हें वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-4 (37400-67000) GP No.-22 (8700) L-21 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्रमांक	नाम अधिकारी	रिक्ति की तिथि
1.	महेन्द्र कुमार बिडियासर	01.04.2022
2.	रामकृष्ण भूरिया, अजा	01.04.2022
3.	सुलेखा शर्मा	01.04.2022
4.	अशोक गुप्ता	01.08.2022
5.	हरिश कुमार शर्मा	01.01.2023


श्री रामकृष्ण भूरिया, अजा मूल वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ होने के कारण सामान्य पद के विरुद्ध पदोन्नति/चयन किया गया है। उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(अकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2020

जयपुर, दिनांक: 29, 8, 2022


:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत संयुक्त विधि परामर्शी की वर्ष 2022-23 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित उप विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होने के फलस्वरूप इन्हें संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-21 (8200) L-20 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि	क.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
1.	मोहर सिंह, अजा	01.04.2022	5.	महेश कुमार गोयल	01.08.2022
2.	विजय कुमार जैन	01.04.2022	6.	अमीरूल हसन गौरी	01.11.2022
3.	धर्मेन्द्र दादवानी	01.04.2022	7.	गिरधारी लाल जाखड़	01.01.2023
4.	सुरेश चन्द शर्मा	01.04.2022			

उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से




(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(5)न्याय/2020

जयपुर, दिनांक: 29.8.2022


:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी की वर्ष 2022-23 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित सहायक विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होने के फलस्वरूप इन्हें उप विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-19 (7200) L-18 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि	क.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
1.	प्रदीप चौधरी	01.04.2022	6.	अमर सिंह बगड़िया	01.04.2022
2.	सीमा माहेश्वरी	01.04.2022	7.	कंवरी लाल सोनी	01.08.2022
3.	अजीत कुमार मरौठी	01.04.2022	8.	प्रताप सिंह राठौड़	01.11.2022
4.	चांद कुमार पालीवाल	01.04.2022	9.	पवन चावला	01.01.2023
5.	ओम प्रकाश शर्मा	01.04.2022	10.	गजेन्द्र सिंह जाट	01.01.2023

उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।


राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


28.8.22
(अजित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(5)न्याय/2020

जयपुर, दिनांक: 29.8.2022

:: आज्ञा ::


राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी के वर्ष 2020-21 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.09.2020 को आयोजित की गई, इसमें श्री मनमोहन आचार्य, सहायक विधि परामर्शी के पर्याप्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाकर इनके लिए एक पद सुरक्षित रखते हुए इनकी पदोन्नति का प्रकरण स्थगित (डैफर) किया गया था।

विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2020-21 के उक्त रिक्त पद के विरुद्ध पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को आयोजित की गई जिसमें समिति की अभिशंसा के अनुसार श्री मनमोहन आचार्य, सहायक विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें उप विधि परामर्शी के पद पर दिनांक 01.04.2020 को उपलब्ध रिक्त के विरुद्ध एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री कमल प्रकाश के नीचे रहेगी।

श्री मनमोहन आचार्य का उप विधि परामर्शी के पद पर वेतनमान PB No.-3 (15600-39100) GP No.-19 (7200) L-18 में दिनांक 01.04.2020 की रिक्त के विरुद्ध वेतन निर्धारण किया जाएगा।

उक्त पदोन्नत अधिकारी के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


(प्रवीर मटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक: 29.8.2022

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के अन्तर्गत सहायक विधि परामर्शी की वर्ष 2017-18 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.08.2019 को आयोजित की गई। श्री महेश कुमार नारनोलिया, अजा वरिष्ठ विधि अधिकारी पात्रता सूची क्रमांक 28 का चयन सहायक विधि परामर्शी के पद पर दिनांक 01.04.2017 की रिक्ति के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपनी अभिशंसा को बन्द लिफाफे में रखा गया। कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.1(84)कार्मिक/क-3/जांच/2015 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा श्री नारनोलिया को उक्त जांच में परिनिन्दा (Censure) के दण्ड से दण्डित किया गया। पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की बैठक दिनांक 25.08.2022 को आयोजित की गई।

पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तक की सहायक विधि परामर्शी की रिक्ति के विरुद्ध निम्न अधिकारी को एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

वर्ष 2017-18

श्री महेश कुमार नारनोलिया, अजा, वरिष्ठ विधि अधिकारी को विभागीय जांच में परिनिन्दा (Censure) के दण्ड से दण्डित होने के कारण इनका चयन नहीं किया गया है।


वर्ष 2018-19

श्री महेश कुमार नारनोलिया, अजा, वरिष्ठ विधि अधिकारी को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया जाता है तथा इनका नाम वर्ष 2018-19 की चयन सूची में श्री आलोक कुमार आर्य के नीचे जोड़ा जाता है।

श्री नारनोलिया को सहायक विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-16 (6000) L-15 के अन्तर्गत पदोन्नत किया गया है।


श्री नारनोलिया के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(अक्षय रमन)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक: 29.8.2022

:: आज्ञा ::


राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत वरिष्ठ विधि अधिकारी के वर्ष 2021-22 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.01.2022 को आयोजित की गई, इसमें प्रियंका राठौड़, कनिष्ठ विधि अधिकारी के पर्याप्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाकर इनके लिए एक पद सुरक्षित रखते हुए इनकी पदोन्नति का प्रकरण स्थगित (डैफर) किया गया था।

विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2021-22 के उक्त रिक्त पद के विरुद्ध पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को आयोजित की गई जिसमें समिति की अभिशंसा के अनुसार प्रियंका राठौड़, कनिष्ठ विधि अधिकारी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर दिनांक 01.04.2021 को उपलब्ध रिक्त के विरुद्ध एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री राजेन्द्र कुमार के नीचे रहेगी।

प्रियंका राठौड़ का वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर वेतनमान **PB No.-2 (9300-34800) GP No.-14 (4800) L-12** में दिनांक 01.04.2021 की रिक्त के विरुद्ध वेतन निर्धारण किया जाएगा।

प्रियंका राठौड़, वरिष्ठ विधि अधिकारी का पदोन्नति पर पदस्थापन यथावत रखा जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से




(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(अकित रमन)
सयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक: 29.8.2022


:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत वरिष्ठ विधि अधिकारी की वर्ष 2022-23 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित कनिष्ठ विधि अधिकारी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होने के फलस्वरूप इन्हें वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-2 (9300-34800) GP No.-14 (4800) L-12 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि	क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
1.	राजकुमारी	01.04.2022	6.	हेमन्त कुमार धन्दे, अजा	01.04.2022
2.	विकास अग्रवाल	01.04.2022	7.	सुधीर कुमार वर्मा, अजा	01.04.2022
3.	राकेश कुमार शर्मा	01.04.2022	8.	राजीव कुमार मीणा, अजजा	01.04.2022
4.	अनीता शर्मा	01.04.2022	9.	विक्रम सिंह मीना, अजजा	01.04.2022
5.	सरोज चतुर्वेदी	01.04.2022			

उक्त पदोन्नत अधिकारियों का पदोन्नति पर पदस्थापन यथावत रखा जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से




(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(अर्कित रमन)
संयुक्त शासन सचिव